भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1690
दिनांक 05 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

बिजली लाइनों में निजी भूमि उपयोग के लिए मुआवजा

1690. श्री राधेश्याम राठियाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या छत्तीसगढ़ सरकार की नीतियों के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में निजी भूमि पर बिजली कंपनियों द्वारा भूस्वामी की पूर्व सहमति के बिना बिजली के खंभे, तार और ट्रांसफार्मर लगाने के लिए उन्हें कोई मुआवजा या किराया प्रदान किया जाता है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए किस आधार पर मुआवजा तय किया जाता है और प्रभावित भूमि मालिकों को उचित मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए क्या दिशा-निर्देश हैं; और

(ग) क्या सरकार द्वारा प्रभावित ग्रामीण भूस्वामियों के संरक्षण हेतु कोई नीति बनाने का विचार है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : छत्तीसगढ़ सरकार ने सूचना दी है कि भू-स्वामियों को कोई किराया या मुआवजा नहीं दिया गया है।

(ग) : विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 14.06.2024 को पारेषण लाइनों के लिए राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) के संबंध में मुआवजे के भुगतान के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, भूमि दर को बाजार दर से जोड़ दिया गया है। इसके अलावा, टावर के आधार क्षेत्र और आरओडब्ल्यू कॉरिडोर के लिए मुआवजा राशि को भूमि मूल्य का क्रमशः 200% और 30% तक बढ़ा दिया गया है।

****